सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, रावर्ट्सगंज –सोनभद्र।

बन्धियो में मत्स्य आखेट की नीलामी सूचना 01/ई0ई0/2018–19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से निम्न बन्धियो मे मत्स्य पालन/आखेट हेतु नीलामी पद्धति से दिये जाने के लिये सार्वजनिक नीलामी दिनांक **18.07.2018** को पूर्वान्ह **11.00** बजे निरीक्षण भवन सिंचाई कालोनी बढ़ौली रावर्ट्सगंज सोनभद्र पर की जायेगी। उक्त निर्धारित तिथि पर बोली हेतु मत्स्य पालक उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह नीलामी की प्रक्रिया दिनांक **25.07.2018, 01.08.2018** व 29.08.2018 को पूर्वान्ह **11.00** बजे आयोजित की जायेगी।

क्र0स0	बन्धी का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	सिक्योरिटी धनराशि (लाख रूपया में)	न्युनतम बोली (लाख रू0 में)
1	रघुनाथपुर	राबर्ट्सगंज	सोनभद्र	0.80	4.00
2	मुर्तियां	घोरावल	सोनभद्र	0.50	2.50
3	करही	नगवां	सोनभद्र	0.30	1.50
4	देवरी	नगवां	सोनभद्र	0.30	0.40
5	सरईगढ़	नगवां	सोनभद्र	0.30	0.30

नीलामी की मुख्य शर्तेः–

1. मत्स्य जीवी सहकारी समिति/ ठेकेदार को प्रत्येक बंधी की बोली बोलने के पूर्व पत्येक बंधी की अलग–अलग अग्रिम जमानत धनराशि जमा करनी होगी। बिना अग्रिम जमानत धनराशि जमा किये किसी भी बोली दाता को बोली बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि अधिकतम बोली बोल कर कोई समिति/ठेकेदार ठेका नहीं लेता है तो उसकी अग्रिम जमानत धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
2. नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व नीलामी में भाग लेने वाले मत्स्य जीवी सहकारी समिति के सदस्य/ठेकेदार को अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र बोली बोलने से पूर्व नीलामी समिति के समक्ष जमा करना होगा। बिना चरित्र प्रमाण–पत्र (वैध) जमा किये बोली बोलने की अनुमति नहीं रहेगी। अन्य अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
3. बन्धियों की नीलामी निर्धारित तिथि में करायी जायेगी जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी।
4. मत्स्य पालन/आखेट हेतु नीलामी तीन वर्ष के लिये की जायेगी। नीलामी की अवधि ठेका स्वीकृति के दिनांक से प्रारम्भ हो कर तीस जून 2021 तक के लिये होगी।
5. नीलामी मे सबसे अधिकतम बोली लगाने वाले समिति /ठेकेदार का सक्षम अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निमार्ण खण्ड रावर्ट्सगंज सोनभद्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ठेका स्वीकृत किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निमार्ण खण्ड रावर्ट्सगंज सोनभद्र द्वारा अधिकतम बोली के होते हुए भी यदि उच्चतम बोली यदि कम प्रतीत होती है तो ठेका अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
6. समिति/ठेकेदार को ठेके की अवधि की नीलामी धनराशि का 5 प्रतिशत वतौर जमानत धनराशि सिंचाई विभाग के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। ठेका समाप्त होने के 6 माह उपरान्त जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
7. मत्स्य पालन/आखेट हेतु उच्चतम बोली बोलने वाली समिति/ठेकेदार को नीलामी समाप्त होने पर प्रथम वर्ष की बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। प्रथम वर्ष की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि ठेका स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर जमा करनी होगी। समिति /ठेकेदार द्वारा द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक ठेकों की वार्षिक धनराशि का 1/2 भाग 15 जून तक 1/2 भाग 15 नवम्बर तक प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य होगा। यदि समिति /ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वार्षिक किस्तों की अदायगी नहीं की जाती है तो देय तिथि से मतस्य पालन /आखेट पर रोक लगाते हुए ठेका निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।
8. अनुबंध के समय मत्स्य जीवी सहकारी/ठेकेदारों द्वारा उचित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरा जायेगा। स्टाम्प शुल्क सम्बन्धित समिति /ठेकेदार को देय होगा।
9. समिति/ठेकेदार को शिकार हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जिससे की प्रतिबंधित साईज/भार डेढ़ किलो से कम की भारतीय मेजर कार्य एवं महाशेर की मछली नही निकाली जा सकती है। 01 जूलाई से 30 सितम्बर तक जलाशय में शिकारमाहीं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
10. जिन समितियों /ठेकेदार पर बकाया वसूली चल रही है, उनको बोली बोलने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
11. नीलामी की अन्य शर्तें नीलामी की बोली प्रारम्भ होने से पूर्व समिति/ठेकेदार को सुनाई जायेगी।
12. नीलामी बोली हेतु रजिस्ट्रेशन कराने तथा धनराशि जमा करने के उपरान्त यदि किसी कारण वस बोली लगाने वाला नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसकी बयाने की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(जी0बी0 पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड,
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– /सि0नि0ख0रा0/एन–4/दिनांक / 06 /2018

विषय : सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन बंधियों में मत्स्य पालन/आखेट की नीलामी की सूचना हेतु विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मत्स्य पालन/आखेट की नीलामी की सूचना चार प्रतियों में आपको इस आशय से प्रेषित है कि इस क्षेत्र एवं जनपद में पढ़े जाने वाले प्रदेश स्तरीय अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्रों में दो बार दो दिवस के अन्तराल पर प्रकाशित करने की कृपा करें।

संलग्नक– सी0डी0 एवं नीलामी की सूचना 01/ई0ई0/2018–19

(जी0बी0 पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक– /सि0नि0ख0रा0/एन–4/दिनांक / /2017

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई विभाग उ0प्र0 सिगरा, वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर।
3. जिलाधिकारी, जनपद–सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक, जनपद–सोनभद्र।
5. अधीक्षण अभियन्ता कम्प्यूटर सेन्टर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सी0डी0 सहित विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
6. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड–द्वितीय राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
7. अधिशासी अभियन्ता, मीरजापुर नहर प्रखण्ड, मीरजापुर।
8. सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, सोनभद्र।
9. तहसीलदार राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
10. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र।
11. समस्त सहायक अभियन्ता/जिलेदार सिंचाई निर्माण खण्ड–राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
12. उप राजस्व अधिकारी, मीरजापुर नहर प्रखण्ड–मीरजापुर।
13. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(जी0बी0 पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता